न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2017
प्रविष्टि दिनांक 27.01.2017

छोटू पुत्र बेजनाथ जाति कुम्हार निवासी फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार बनेठा जिला—टोंक राजस्थान
—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 05.09.2016 धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री शहाब अहमद खांन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 26.02.2018**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बनेठा ने अपने आदेश दिनांक 05.09.2016 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता वाके ग्राम फुलेता पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 30 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार बनेठा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को आराजी खसरा नं0 678 रकबा 5 बीघा जिसके हाल खसरा नं0 1319 रकबा 1.10 है0 आवंटन हुई थी,जिस पर अपीलांट का मालिकाना कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवंश गलत रिपोर्ट अपीलांट के खिलाफ की है। अपीलांट को जो नोटिस तामिल हुआ है वह अपूर्ण है और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा के यहां इस संबंध मे वाद जेरकार है।अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.01.

जिला कलेक्टर टोंक

2016 से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी गै0मु0 रास्ते की भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्मन जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा ग्राम फुलेता के खसरा नम्बर 1410 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर पत्थर की डोल लगाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.01.2016 से बेदखल किया गया है।इससे सिद्व है कि अपीलण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा मे वाद जेरकार होने से अपीलांट का उक्त भूमि पर अधिकार मान्य नही है। वर्तमान मे गै0मु0 रास्ता सार्वजनिक उपयोग की भूमि है।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.09.2016 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक